ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश विवाह का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2016 के अनुसार फीस दर व प्राधिकृत अथॉरिटी :--

30 दिन के भीतर	200 / - रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
बी0पी0एल0 परिवारों के लिए	25/- रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
30 दिनों के पश्चात् व 90 दिन के	400 / - रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
भीतर। बी0पी0एल0 परिवारों के लिए	50 / - रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
90 दिन के पश्चात् और 1 वर्ष के भतीर।	400 / - रुपये	जिला विवाह रजिस्ट्रार (उपायुक्त) की लिखित अनुज्ञा उपरान्त
		रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)।
बी0पी0एल0 परिवारों के लिए (जिला विवाह रजिस्ट्रार की	50 / - रुपये	जिला विवाह रजिस्ट्रार (उपायुक्त) की लिखित अनुज्ञा उपरान्त रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)।
लिखित अनुज्ञा से)। 1 वर्ष के पश्चात् (विवाह की	400 / - रुपये	प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश उपरान्त रजिस्ट्रार
सत्यता या सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट		विवाह (पंचायत सचिव)।
द्वारा किए गए आदेश पर)। बी0पी0एल0 परिवारों के लिए	50 / - रुपये	प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश उपरान्त रजिस्ट्रार
(विवाह की सत्यता या सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग के		विवाह (पंचायत सचिव)।
मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर)		A A A TO THE A
विदेश में किए गए विवाह का	1000 / - रुपये	विदेश में किए गए विवाह के रिजस्ट्रीकरण ज्ञापन 1000/-
रजिस्ट्रीकरण।	\$	रुपये की फीस के साथ सम्बन्धित
		रजिस्ट्रार विवाह को प्रस्तुत करेगा।